

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 451 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 नवम्बर 2020—कार्तिक 26, शक 1942

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2020

क्र. एफ 19-5-2019-बारह-1-पार्ट.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 68 में, उपनियम (3) में, परंतुक के अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परंतु यह और भी कि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में क्रियान्वित होने वाली भारतमाला परियोजनाओं के कार्यों में उपयोग की जाने वाली साधारण मिट्टी एवं मुरम पर राज्य सरकार रॉयल्टी से छूट प्रदान करती है.”

2. यह छूट इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से लागू होगी.

No. F-19-5-2019-XII-1-Part.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 68, in sub-rule (3), in the end of proviso, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that the State Government exempts the royalty on ordinary clay and murrum to be used in the works of the Bharatmala Pariyojana being implemented in the State of Madhya Pradesh by the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways."

2. This exemption shall apply from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. आर. भोंसले, अपर सचिव.